सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट केकडी जिला अजमेर

**राजस्व प्रार्थना पत्र स0 156/2017**

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

मनेन्द्र सिंह यादव पुत्र महेन्द्र सिंह यादव जाति यादव निवासी डहरा, विजय मन्दिर जिला अजमेर
----प्रार्थी

♠बनाम♠

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तह.केकडी जिला अजमेर
-----अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. श्री मुरलीधर शर्मा वकील प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार अप्रार्थी

## निर्णय

दिनांकः 09/04/18

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम जूनियां तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी सम्वत 2069–72 के खाता नम्बर 90 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1950/6475 खाता नम्बर 600 खसरा नम्बर 2474, खाता नम्बर 617 खसरा नम्बर 2471/5943, खाता नम्बर 833 खसरा नम्बर 2471/6466, खसरा नम्बर 2471/6467, खाता नम्बर 1129 खसरा नम्बर 2463 कुल किता 6 कुल रकबा 3.89 हैक्ट, जो कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी का रास्ता ग्राम जूनियां के सिवायचक खाता नम्बर 1 में दर्ज खसरा नम्बर 2456 में होकर जाता–आता रहा है। रास्ता हेतु चाही गई प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी सिवायचक खाते में दर्ज है जो भविष्य में कभि भी आवंटन की जा सकती है। चाही गई भूमि आवंटन हो जाने पर प्रार्थी की आराजी में आने–जाने का रास्ता अवरूद्ध होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। एसी स्थिति में सिवायचक भूमि में से प्रार्थी के आने–जाने हेतु रास्ता कायम किया जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया अप्रार्थी की ओर से पत्र क्रमांक राजस्व/2018/111 दिनांक 28.02.2018 से रास्ता हेतु मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के पेश की है जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। विवरण निम्न प्रकार है–

बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वर्णित तथ्यों का बखान करते हुए निवेदन किया है कि वाके ग्राम जूनियां तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी सम्वत 2069–72 के खाता नम्बर 90 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1950/6475 खाता नम्बर 600 खसरा नम्बर 2474, खाता नम्बर 617 खसरा नम्बर 2471/5943, खाता नम्बर 833 खसरा नम्बर 2471/6466, खसरा नम्बर 2471/6467, खाता नम्बर 1129 खसरा नम्बर 2463 कुल किता 6 कुल रकबा 3.89 हैक्ट, जो कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी का रास्ता ग्राम जूनियां के सिवायचक खाता नम्बर 1 में दर्ज खसरा नम्बर 2456 में होकर जाता–आता रहा है। रास्ता हेतु चाही गई प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी सिवायचक खाते में दर्ज है जो भविष्य में कभि भी आवंटन की जा सकती है। यदि रास्ता हेतु चाही गई आराजी भविष्य में आवंटन हो जाती है तो प्रार्थी को स्वयं की आराजी में आने–जाने हेतु रास्ते के क्षति का सामना करना पड़ेगा। रास्ता हेतु दी जाने वाली भूमि की वर्तमान पंजीयन दर से नियमानुसार राशि प्रार्थी जमा कराने हेतु सहमत है। इस हेतु प्रार्थी ने नकल जमाबन्दी संवत 2069–72 खाता नम्बर 1129,610,600,833,817,90 व नजरी नक्शा ट्रेस आदि पेश किया है तथा सिवायचक खाता नम्बर 01 खसरा नम्बर 2456 किस्म नहरी प्रथम की जमाबन्दी प्रार्थी ने पेश की है जिससे चाही गई भूमि सिवायचक होना जाहिर होता है। अतः उक्त भूमि रास्ता बाबत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य बनता है।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने उनके द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पेश की है जिसमें प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने – जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही होना जाहिर किया है तथा प्रार्थी द्वारा चाहे गये सिवायचक खसरा नम्बर 2456 रकबा 0.15 हैक्ट में से 44 X 8 = 352 वर्ग मीटर क्षेत्रफल बनता है जिसे उनके द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। रास्ते हेतु चाही गई आराजी ग्राम जूनियां की रोड सीमा से 300 मीटर दूर होना जाहिर किया है। जिसकी वर्तमान पंजीयन दर की दुगनी दर से 8554/– रूपये मालीयत बनती है। यदि प्रार्थी उक्त राशि जमा राजकोष कराता है तो रास्ता दिये जाने मे कोई आपत्ती नही है।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा स्वयं की आराजी में आने–जाने हेतु सिवायचक खसरा नम्बर में से रास्ता चाहा गया है। चूंकि प्रार्थी की आराजी में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रेमाफेसाई केस बनता है तथा प्रार्थना पत्र का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में होना पाया जाता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 251ए राज. काश्तकारी अधि. का ग्राम जूनियां तहसील केकड़ी जिला अजमेर के सिवायचक खसरा नम्बर 2456 रकबा 0.15 हैक्ट में से 44 X 8 = 352 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का रास्ता दिये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार निर्णय की पालना में राशि जमा राजकोष कर वर्तमान नक्शे में रास्ते की तरमीम कर पालना रिपोर्ट मय नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09/04/18 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (मोहर: उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर))
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)